न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 55 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 19.06.2015

1. बद्री पिता भोला जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. गोकल पिता भोला जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. डालु पिता भोला जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. थाना पिता भोला जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. गणपत पिता भोला जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. बबु पिता भोला जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्ध

1. मेन्द्री पत्नि सुवा जाति रेबारी निवासी बोलो का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. हिम्मतसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. राजाराम पिता सवाईराम जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. गिन्दोली बेवा सवाईराम जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. काशीराम पिता मकराम जाति रेबारी–मृतक के बजाय
   1. भंवरलाल पिता काशीराम जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. डूंगरलाल पिता काशीराम जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. का.ुराम पिता गोकल जाति रेबारी निवासी भाटखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बुढ तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
9. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 34/2011 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015

उपस्थित–
1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. रमेश चन्द्र दशोरा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 से लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 9

निर्णय **दिनांक 13.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण। के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गंगरार तहसील गंगरार की खाता सं. 199 मे दर्ज आराजी नम्बर 127 से 132, 135 से 137 कुल किता 9 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर व खाता सं. 200 मे दर्ज आराजी नम्बर 138,141,143,144,145,146,147 कुल किता 7 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर खाता सं. 201 मे दर्ज आराजी नम्बर 142 रकबा 0.06 हैक्टेयर अंकित है। उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्टगण वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 4 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। बिना किसी विभाजन कराये रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी को उक्त कृषि आराजीयात मे से अपने हक व हिस्से का हस्तान्तरण कर दिया। उक्त तथाकथित बहनामे को अपीलान्टगण वादीगण ने निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है जो सक्षम सिविल न्यायालय मे जैरकार है। उक्त वादपत्र का विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य मानते हुए वादपत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। उसके पश्चात् उक्त प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तलबी हेतु दिनांक 11.06.2015 को निर्धारित थी। जिसको राजस्व लोक अदालत मे नियत कर वादपत्र को क्षैत्राधिकार का नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्टगण वादीगण के पिता भोला के जीवनकाल से उक्त कृषि आराजीयात चली आ रही है उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टगण वादीगण भोला के वैध उत्तराधिकारी होकर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र विचारण योग्य था। प्रकरण तामील के स्तर पर था। उक्त पत्रावली अपरिपक्व होकर राजस्व लोक अदालत मे निस्तारण योग्य नही थी। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स. 2 प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 से लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अपील मेमो मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना नही करते हुए अपरिपक्व पत्रावली को बिना सूचना के राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोलो का सांवता पर नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के, बिना किसी पक्षकारान की सहमति के प्रस्तुत वादपत्र को गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ ने अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता व राजस्व लोक अदालत की मंशा के विपरीत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की सहमति व बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात मौजा गेणिया तहसील गंगरार की खाता सं. 199 मे दर्ज आराजी नम्बर 127 से 132, 135 से 137 कुल किता 9 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर व खाता सं. 200 मे दर्ज आराजी नम्बर 138,141,143,144,145,146,147 कुल किता 7 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर व खाता सं. 201 मे दर्ज आराजी नम्बर 142 रकबा 0.06 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2011 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 11.06.2015 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 7 की तामील हेतु नियत होकर अपरिपक्व थी जिसमे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना सूचना के उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोलो का सांवता मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे व सहमति से गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप उभयपक्षो की सहमति अनुसार अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 34/2011 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य व सबूत लिये जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे गुणावगुण पर नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)